<table>
<tr><td>बिन्दु सं0 8</td><td>ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण ।</td></tr>
<tr><td colspan="2">जैसा कि ऊपर बिन्दु-7 में उल्लेख किया गया है, राज्य स्तर पर राज्य सैनिक परिषद तथा जिला स्तर पर जिला सैनिक परिषद विभाग को परामर्श देने के लिए गठित हैं, जिनमें विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व है । इनकी बैठकों में केवल इनके सदस्यों द्वारा भाग लिया जा सकता है, परन्तु ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त को किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है ।</td></tr>
</table>